जीविका
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार

बिहार सरकार

विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800 021, दूरभाष: +91–612–250 4980, फैक्स: +91–612–250 4960, वेबसाइट: www.brlps.in

पत्रांक: BRLPS/Proj-SD/1612/19/3800 दिनांक : 06.03.2021

कार्यालय-आदेश

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति के द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (8th मार्च कार्यालय-आदेश संख्या - BRLPS/Project/77/08/3637 दिनांक-26/02/2021) के अवसर पर आयोजित होने वाली बैठकों में संलग्न दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। उपरोक्त दिशा-निर्देशों के प्रतिपालन से जीविका सम्पोषित सामुदायिक संगठनों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण हेतु किए जा रहे कार्यों, कोरोना (COVID-19) महामारी से बचाव, जागरूकता और टीकाकरण अभियान से जुड़ाव तथा बच्चों में शिक्षा के प्रति नए सिरे से स्कूलों के माध्यम से शाला प्रवेश कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा होगी ।

अनुलग्नक:

1. महिला-दिवस कार्यक्रम की गतिविधि मार्गदर्शिका
2. कोरोना (COVID-19) महामारी से बचाव, जागरूकता व टीका-पंजीकरण हेतु मार्गदर्शिका
3. पत्रांक 3637 दिनांक 26 फरवरी 2021 की प्रति

06/03/2021

(बालामुरुगन डी0)

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका

प्रतिलिपि:

- निदेशक / परियोजना समन्वयक / राज्य परियोजना प्रबंधक
- जिला परियोजना प्रबंधक / प्रबंधक -सामाजिक विकास / प्रबंधक - संचार / विषयगत प्रबंधक
- प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक
- फाइल / आई.टी सेक्शन

महिला-दिवस कार्यक्रम की गतिविधि मार्गदर्शिका

8th मार्च, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर संकुल स्तरीय संघ तथा ग्राम संगठन में आयोजित होने वाली कार्यक्रमों में स्वयं सहायता समूहों के कारण समाज में आए सकारात्मक बदलाव पर चर्चा की जाएगी। चर्चा में ऐसे सदस्यों के विचारों तथा अनुभवो को मंच पर अवश्य रखा जाएगा जिन्होंने अपने या समाज को सकारात्मक दिशा देने की कोशिश की हैं । ऐसे सदस्य निम्न हो सकते हैं।

1) कोरोना महामारी के समय खाध सुरक्षा को समुदाय के स्तर पर सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2) लड़कियों की शिक्षा पर स्वयं के परिवार के परिवार में लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलवाने में समूह से लोन लेकर पढ़ाई को पूरा करवाया हैं।
3) शराब बंदी पर सार्थक पहल करके ग्राम स्तर एवं पंचायत स्तर पर शराबबंदी लागू करने में बड़ी भूमिका निभा रही है।
4) महिला सुरक्षा एवं बराबरी के मुद्दों या समाज के कुरीतियों - (बाल-विवाह , घरेलू हिंसा , दहेज प्रथा, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण) के विरूध आवाज़ उठाया हो या अपना योगदान दिया हो।
5) पर्यावरण संरक्षण हेतु वृहद स्तर पर वृक्षरोपण या जल संरक्षण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
6) समूह के माध्यम से लोन लेकर अपने परिवार की आजीविका को मज़बूत किया है तथा अपने परिवार की मासिक आय कम से कम Rs 15000/- होने लगी है।
7) अन्य बिन्दु यथा समूह के प्रत्येक बैठक में शामिल होना, हस्ताक्षर सिखाने में सदस्यों को सहयोग करना, समय पर लोन वापसी करना आदि शामिल हो सकते हैं।
8) सभी सम्मानित दीदियों की कहानी सामाजिक विकास- प्रबंधक / संचार प्रबंधक के सहयोग से केस स्टडी के रूप में अंकित की जाएगी।संकुल स्तरीय संघ के स्तर पर होने वाली गतिविधि की फ़ोटो लेना और ज़िला कार्यालय में जमा करना अनिवार्य हैं।

वर्तमान परिवेश में बच्चों को पुनः स्कूल भेजने हेतु प्रेरित करना अनिवार्य हैं; जिससे कोरोना के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के बाद बच्चे स्कूल जाकर पुनः नए शिक्षा सत्र में वापस से जुड़े।

बच्चों को वापस स्कूल भेजने हेतु तथा पढ़ाई शुरू करने हेतु उपरोक्त कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आमंत्रित किया जाए। जिससे शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा शाला प्रवेश (कक्षा 1 एवं अग्रिम कक्षाओं) हेतु अभिभावकों को प्रेरित किया जा सके। संकुल स्तरीय संघ/ग्राम संगठन यह सुनिश्चीत करेंगे की सभी सदस्यों के बच्चे शाला में नामांकित हो, प्रवेशोपरान्त शुरू होने वाले catch-up course अप्रैल 2021में सहभागी बनकर अपना ज्ञानार्जन कर सके।

कोई भी बच्चा स्कूल जाने से बाहर न रहें इस हेतु संकुल स्तरीय संघ/ ग्राम संगठन द्वारा प्रचार - प्रसार (शाला प्रवेश हेतु) किया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा की स्कूलों में पढ़ाई व्यवस्थित ढंग से चल सके।

कोरोना (COVID-19) महामारी से बचाव हेतु जागरूकता व टीका-पंजीकरण

महिला दिवस के अवसर पर संकुल स्तरीय संघ पर आयोजित होने वाली बैठकों में कोरोना (COVID-19) महामारी से बचाव हेतु लगाये जा रहे टीके पर जागरूकता हेतु निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना है ।

- इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है की, वृहद् स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) में महिलाओं का रजिस्ट्रेशन कर कोरोना (COVID-19) का टीका (निःशुल्क) लगाया जायेगा | इस हेतु, ऐसे संकुल स्तरीय संघ जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) के दो (2) किलोमीटर की दूरी में स्थित हैं, तथा वैसे समूह सदस्य जिनकी उम्र (आधार कार्ड से) 45 वर्ष से अधिक है वह सभी रजिस्ट्रेशन हेतु पात्र है इस हेतु महिला दिवस की बैठक समाप्त होने के बाद सदस्यों को कोरोना टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जायेगा ।
- प्रखंड स्तरीय जीविका कर्मी यह भी सुनिश्चित करेंगे की, 8 मार्च (महिला दिवस) के पूर्व, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) के आस-पास गठित स्वयं सहायता समूह सदस्यों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उक्त जानकारी उपलब्ध हो जाए ।
- गर्भवती और धात्री माताओं को कोरोना (COVID-19) का टीका नही लगना है, यह संदेश सदस्यों तक अवश्य पहुंचाना है ।
- इस कार्य हेतु प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक (BPM) जीविका, PHC प्रभारी (MOIC) से संपर्क स्थापित कर लगभग 400 सदस्यों की उपस्तिथि कराने की व्यव्यस्था करेंगे|
- यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा की सदस्य रजिस्ट्रेशन के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) जाते समय सदस्य खुद के आधार कार्ड की प्रति और सक्रिय मोबाइल संपर्क संख्या (mobile no.) अवश्य साथ में लेकर जायें ।
- प्रक्रिया के दौरान कोरोना (COVID-19) से बचाव हेतु सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार समूह सदस्यों द्वारा मास्क का उपयोग और सामाजिक दूरी का ध्यान रख पालन करना अनिवार्य रूप से अपेक्षित है ।
- संबधित जिले के संचार प्रबंधक टीकाकरण कार्यक्रम का दस्तावेजीकरण एवं फोटो संधारण कर इसका प्रतिवेदन राज्य एवं जिला कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे ।

85

जीविका
गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार
बिहार सरकार
प्रथम तल, विद्युत भवन -2, बेली रोड, पटना – 800 021, दूरभाष :+91-612-250-4980, फैक्स :+91-612-250 4960, ईमेल : info@brlp.in, वेबसाईट www.brlp.in

BRLPS/Project/77/08/3637

दिनांक :- 26.02.2021

कार्यालय आदेश

8 मार्च 2021 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जीविका के प्रखंड एवं संकुल स्तरीय संघों के स्तर पर महिला सशक्तीकरण एवं महिला कल्याण से सम्बंधित कार्यक्रमों का आयोजन अपेक्षित है। इन कार्यक्रमों में निम्न गतिविधियाँ सम्मिलित होंगी :–

1. जीविका दीदियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी।
2. भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्रांक सं–J-10618/01/2018-RL (362434) के अनुसार संकुल स्तरीय संघ/ग्राम संगठन स्तर पर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन। (प्रतिलिपि संलग्न)
3. वातावरण निर्माण एवं जागरूकता हेतु जीविका से सम्बंधित सुसंगत गीतों (बढ़ते कदम जैसे) का गायन एवं प्रस्तुति।
4. संकुल स्तरीय संघ स्तर पर जागरूकता रैलियों का आयोजन।
5. जिस प्रखंड में अभी तक संकुल स्तरीय संघ गठित नहीं, वहाँ प्रखंड स्तर पर ऐसे कार्यक्रम का आयोजन।
6. प्रखंड/पंचायत स्तर पर बेहतर कार्य करने वाले सामुदायिक संवर्ग के पाँच सदस्यों को संकुल स्तरीय संघ द्वारा सम्मान।
7. पंचायत स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम संगठनों को सम्मान।
8. संकुल स्तरीय संघ स्तर के कार्यक्रमों में संकुल स्तरीय संघ नोडल/प्रखंड मेंटर/प्रखंड परियोजना प्रबंधक एवं संबंधित कर्मियों की सुनिश्चित उपस्थिति।

- प्रत्येक संकुल स्तरीय संघ को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने हेतु 5000 की राशि अनुमोदित की जाती है। यह राशि जिला के संचार मद से व्यय की जाएगी।
- सभी जिलों के प्रबंधक–संचार, संकुल स्तरीय संघों में होने वाले कार्यक्रमों से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन एवं चित्र एक सप्ताह के अंदर राज्य कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के निदेशानुसार

26.2.2021

(ब्रज किशोर पाठक)
विशेष कार्य पदाधिकारी

संलग्नक :– यथोक्त।

प्रतिलिपि :–
1. सभी सम्बंधित पदाधिकारी– राज्य कार्यालय
2. सभी सम्बंधित पदाधिकारी– जिला कार्यालय
3. सभी सम्बंधित पदाधिकारी–प्रखंड कार्यालय को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।